-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की बैटरी बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.02.2026 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि अतर्रा के रहने वाले साहिद अली पुत्र सादिक द्वारा दिनांक 08.02.2026 को थाना अतर्रा पर सूचना दी कि कल रात को अज्ञात लोगों द्वारा उसके ट्रैक्टर की बैटरी चोरी कर ली गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 09.02.2026 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को ओरन रोड़ जरुहा चौकी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान चोरी की बैटरी भी बरामद हुई।

बरामदगी-

- 01 ट्रैक्टर की बैटरी LIVFAST कम्पनी (चोरी की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय पुत्र राजाभैया निवासी अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 57/26 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्रा
2. कां0 अर्जुन वर्मा
3. कां0 राजेश कुमार